छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 4420/2008

याचिकाकर्तागण(दावेदार):

1. कमलेश ध्रुव, पिता स्व. हृदय राम ध्रुव, आयु लगभग 40 वर्ष
2. श्रीमती राम बाई, पति कमलेश ध्रुव, आयु लगभग 37 वर्ष,

दोनों निवासी ग्राम खुडमुडी, थाना पाटन, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण:

1. ठाकुर राम ध्रुव (अब मृत), पिता माधवराम ध्रुव, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम सिकोला, जिला पाटन (छ.ग.) (वाहन-चालक)
2. दीपक कुमार इसरानी, पिता चुन्नी लाल इसरानी, निवासी मकान नं. 50, सेक्टर 4 देवेन्द्र नगर, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) (वाहन-स्वामी)
3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नवीन बाजार, फूल चौक के पास, द्वारा: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मण्डल कार्यालय, आकाश गंगा कैंपस, सुपेला, भिलाई, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.) (वाहन-बीमाकर्ता)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका

(एकल न्यायपीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

उपस्थिति:

याचिकाकर्तागण की ओर से श्री डी. एन. प्रजापति, अधिवक्ता।

-- आदेश --

(दिनांक 13.08.2008 को पारित किया गया)

1. याचिकाकर्तागण ने एक दावा प्रकरण में उन्हें प्रदान की गई सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) में रखी राशि को मुक्त करने हेतु निर्देश दिए के लिए यह याचिका प्रस्तुत की है।

2. संक्षिप्त में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्तागण रेवाराम के माता-पिता हैं, जिसकी मृत्यु दिनांक 29.10.2004 को एक दुर्घटना में हो गई थी। याचिकाकर्तागण द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 105/2005 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें विद्वान 9वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एफ.टी.सी.) द्वारा पारित अधिनिर्णय दिनांक 23.08.2006 के माध्यम से कुल 4,06,000/- रूपये (चार लाख छः हजार) का प्रतिकर 6% साधारण ब्याज के साथ प्रदान किया गया था। विद्वान दावा अधिकरण ने निर्देशित किया कि याचिकाकर्तागण कुल प्रतिकर में से समान राशि के हकदार हैं, प्रत्येक को 30,000/- रूपये (तीस हजार) का नकद संदाय किया जाए और शेष राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पांच वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा योजना में जमा की जाए और याचिकाकर्तागण उस सावधि जमा पर अर्जित होने वाले मासिक ब्याज को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. तदनुसार, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और 2 के नाम पर क्रमशः 1,30,000/- रूपये और 1,65,626/- रूपये स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में पांच वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा योजना में जमा किए गए थे, जिसकी परिपक्वता वर्ष 2011 में देय है।

4. तत्पश्चात, याचिकाकर्तागण ने दावा अधिकरण के समक्ष इस आधार पर पूरी राशि नकद में मुक्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उनका घर जर्जर अवस्था में है और रहने योग्य नहीं है, अतः उन्हें एक नया घर बनवाने की आवश्यकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विद्वान दावा अधिकरण ने, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों तथा याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत, आक्षेपित आदेश दिनांक 03.12.2007 (संलग्नक ए/1) के माध्यम से आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया और याचिकाकर्ता क्रमांक 1 कमलेश कुमार ध्रुव के सावधि जमा खाते से 30,000/- रूपये (तीस हजार) मुक्त करने का निर्देश दिया। व्यथित होकर, याचिकाकर्तागण ने पूरी राशि मुक्त करने के लिए यह याचिका प्रस्तुत की है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने, दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित पूरी राशि को मुक्त करने की प्रार्थना की पुष्टि हेतु, **पारसमल सोनी विरुद्ध जोगा सिंह एवं अन्य {2002 (2) सी.जी.एल.जे. 232}** के प्रकरण में इस न्यायालय

के एक निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें दावेदार की जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दावेदार/स्वामी ने वाहन की मरम्मत के लिए दावा प्रकरण प्रस्तुत किया था। विद्वान अधिकरण ने कुल 92,034/- रूपये का प्रतिकर प्रदान किया था, जिसमें से 90,000/- रूपये की राशि 10 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा योजना में रखने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात, दावेदार ने इस आधार पर पूरी राशि मुक्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया कि वाहन/जीप की मरम्मत के लिए राशि की आवश्यकता है। उक्त आवेदन को दावा अधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि राशि वाहन की मरम्मत के दावे पर प्रदान की गई थी, पूरी राशि मुक्त करने का निर्देश दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्तागण/माता-पिता द्वारा दावा इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि उनके पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। दावा अधिकरण पहले ही याचिकाकर्तागण को 60,000/- रूपये (अर्थात 30,000/- रूपये प्रत्येक) नकद संदाय करने का निर्देश दे चुका है और सावधि जमा की राशि पर अर्जित मासिक ब्याज के संवितरण का भी निर्देश दिया है। तत्पश्चात, याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, आक्षेपित आदेश के माध्यम से 30,000/- रूपये की राशि भी मुक्त कर दी गई है। अतः, **पारसमल सोनी** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में याचिकाकर्ता के विद्वान

अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय कोई सहायता नहीं करता है। इस प्रकार जमा की गई राशि मृतक के आश्रित सदस्यों के भरण-पोषण के लिए थी, न कि घर के निर्माण के लिए। यदि पूरी राशि मुक्त कर दी जाती है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका उपयोग भरण-पोषण के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

8. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के उपरांत और आक्षेपित आदेश दिनांक 03.12.2007 का परिशीलन करने के उपरांत, यह न्यायालय इस अभिमत का है कि विद्वान दावा अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष एवं कारण सुदृढ़ हैं। यह भली-भांति स्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अपनी पर्यवेक्षी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से तब तक बचना चाहिए, जब तक कि ऐसे मामलों में विकृति, अवैधता, अनियमितता या अधिकारिता की त्रुटि अभिलेख पर प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट न हो, जो कि वर्तमान प्रकरण में नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पूर्वोक्त के परिप्रेक्ष्य में, इस याचिका में कोई सार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur